न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 115/2022

विजेन्द्र कुमार स्वामी पुत्र श्री उदमीराम स्वामी, निवासी सांवलोद, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 18.04.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 01.04.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 115/2022 पर दिनांक 01.04.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2022/1264–65 दिनांक 01.04.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16 (4)(5)न्याय/सू0अ0/22/424 दिनांक 08.04.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी विजेन्द्र कुमार स्वामी पुत्र श्री उदमीराम स्वामी, निवासी सांवलोद, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 31.01.2022 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16 (4)(5)न्याय/सू0अ0/09/43 दिनांक 08.02.2022 के द्वारा पाठक जिला कलक्टर, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। पाठक जिला कलक्टर, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं ने अपने पत्र कमांक 416–18 दिनांक 14.02.2022 के द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाते हुए अवगत करवाया कि चाही गई सूचना का संबंध प्रभारी अधिकारी जन सुनवाई का अधिकार प्रकोष्ठ कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं से संबंधित होने के कारण उक्त अनुभाग को प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाने हेतु पत्र लिखा गया है। सहायक निदेशक (लोक सेवायें) प्रशासनिक सुधार विभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं के पत्र कमांक सूचना का अधिकार/2021/2 दिनांक 07.04.2022 द्वारा प्रार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16 (4)(5)न्याय/सू0अ0/22/424 दिनांक 08.04.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी विजेन्द्र कुमार स्वामी पुत्र श्री उदमीराम स्वामी, निवासी सांवलोद, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 31.01.2022 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16 (4)(5)न्याय/सू0अ0/09/43 दिनांक 08.02.2022 के द्वारा पाठक जिला कलक्टर, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। पाठक जिला कलक्टर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.28 14:53:14 IST
Reason: SelfAttested

14

कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं ने अपने पत्र क्रमांक 416–18 दिनांक 14.02.2022 के द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाते हुए अवगत करवाया कि चाही गई सूचना का संबंध प्रभारी अधिकारी जन सुनवाई का अधिकार प्रकोष्ठ कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं से संबंधित होने के कारण उक्त अनुभाग को प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाने हेतु पत्र लिखा गया है। सहायक निदेशक (लोक सेवायें) प्रशासनिक सुधार विभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं के पत्र क्रमांक सूचना का अधिकार/2021/2 दिनांक 07.04.2022 द्वारा प्रार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 18.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.28 14:53:14 IST
Reason: SelfAttested